

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या
11/02/2017

प्रवेश तिथि
25-01-2017

निर्णय दिनांक
17-05-2018

1-धनसिंह पुत्र स्व० रामसिंह जाति गुर्जर निवासी मैथना तहसील कठूमर जिला अलवर राज०
अपीलान्त

बनाम

1- तहसीलदार, तहसील कठूमर जिला अलवर राज०

असल रेस्पाडेन्ट

2-मानसिंह पुत्र स्व० रामसिंह जाति गुर्जर निवासी मैथना तहसील कठूमर जिला अलवर राज०
तरतीबी रेस्पाडेन्ट

अपील विरुद्ध आदेश तहसीलदार कठूमर का निर्णय दिनांक 02.08.1991
नामान्तकरण संख्या 86 ग्राम ढांकरोली तह० कठूमर जिला अलवर राज०

उपस्थित:-

01. श्री उमाशंकर खण्डेलवाल

-वकील अपीलान्तस

—:: निर्णय ::—

अपीलान्त ने यह अपील तहसीलदार कठूमर के आदेश दिनांक 02.08.1991 जिसके द्वारा नामान्तकरण संख्या 86 ग्राम ढांकरोली, तहसील कठूमर जिला अलवर बेजा तौर पर स्वीकार किया गया है, से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ० को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया। अपील अपीलांत की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्त ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि आराजी खसरा नम्बर 212, 213 ग्राम ढांकरोली तहसील कठूमर की आराजी अपीलांत के पिता रामसिंह की कब्जे काश्त की आराजी थी। रामसिंह का स्वर्गवास होने के बाद उनके 2 पुत्र धनीराम व मानसिंह के नाम विरासत का इंतकाल दर्ज किया गया, हल्का पटवारी रामसिंह के पुत्र मानसिंह व दूसरे पुत्र धनीराम के स्थान पर घनश्याम नाम दर्ज कर दिया गया। उक्त निर्णय करते समय तहसीलदार द्वारा ना अपीलांत को बुलाया गया और ना किसी प्रकार की जांच की गई। इंतकाल संख्या 86 में अपीलांत का नाम धनसिंह के स्थान पर घनश्याम अंकित कर दिया, जबकि अपीलांत का नाम ग्राम पंचायत के राशन कार्ड में, माध्यमिक परीक्षा की अंकतालिका में एवं आधार कार्ड में धनसिंह अंकित है। गांव में भी अपीलांत धनसिंह के नाम से ही जाना जाता है। अपीलांत को उक्त इंतकाल की जानकारी दिनांक 13.01.2017 को हुई, तो अपीलांत द्वारा उक्त इंतकाल की नकल के लिए प्रा०पत्र लगाकर नकल प्राप्त की गई। अपीलांत द्वारा जानकारी की दिनांक से तुरंत अपील पेश की गई। फिर भी देरी के लिए प्रा०पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम पेश किया गया। अतः निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 02.08.1991 इंतकाल संख्या 86 ग्राम ढांकरोली आराजी खसरा नम्बर 212, 213 में अपीलांत का नाम घनश्याम के स्थान पर धनसिंह किये जाने की कृपा करें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। सर्वप्रथम दफा-5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर विचार किया गया। अपीलान्त ने यह अपील आदेश दिनांक 02.08.1991 के विरुद्ध दिनांक 25.01.2017 को इस न्यायालय में पेश की है, जो करीब 26 वर्ष विलम्ब से पेश की गई है। विलम्ब की अवधि असाधारण नहीं है, फिर भी प्रार्थना पत्र दफा-5 में वर्णित तथ्यों पर विश्वास करते हुए तथा नरमी का रूख अपनाते हुये विलम्ब को माफ किया

जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है। जहां तक गुणावागुण का प्रश्न है हस्तगत प्रकरण में अवलोकन से पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विरासत का इंतकाल दर्ज करते समय वारिसान के सही नामो की जांच नहीं की गई और अपीलांत का नाम धनसिंह के स्थान पर घनश्याम दर्ज कर दिया गया। अतः प्रकरण तहसीलदार कठूमर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वारिसान की पुनः जांच कर विधि समत् निर्णय पारित करें। पत्रावली फौसल शुमार होकर बाद तामील तकमील लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 17.05.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



W
(राकेश कुमार)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रथम)
अलवर (राजस्थान)